पर्वतसिंह विरूद्ध उमरावसिंह आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4302–दो/14 जिला – आगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.2.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्र0क्र0 412/2010–11/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.10.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । यह प्रकरण बंदोवस्त के समय भूमि के क्षेत्रफल में कमी के बारे में पंजीबद्ध हुआ । तहसीलदार ने जो आदेश पारित किया उसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त किया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया गया है । इस प्रकरण में भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण चलकर माननीय उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील में विचाराधीन है । अपर आयुक्त ने इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखा है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है और उन्होंने अपने आदेश में यह भी व्यक्त किया है कि अंतिम निर्णय व्यवहार न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही राजस्व न्यायालयों को करना होगा । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । सदस्य	

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

:: न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. केम्प उज्जैन ::

प्रकरण क्रमॉक– /2014निगरानी R-4302-II/14

दिनांक 15.12.14 ... 16/12/14

प्रार्थी अभिभाषक श्री शेषनारायण ...
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 29-11-14
29.11.14
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

पर्वतसिह पिता श्री कचरूसिह जाति राजपूत आयु 67 वर्ष व्यवसाय–खेती, निवासी–ग्राम लोटिया किसना तहसील बडोद, जिला आगर म.प्र.

———————— प्रार्थी

विरूद्ध

1.उमरावसिह पिता दुलेसिह,आयु 56वर्ष
2.शम्भूसिह पिता उदयसिह,आयु 42वर्ष
3.कृपालसिह पिता उदयसिह,आयु40वर्ष
समस्त जाति राजपूत,निवासीगण–ग्राम लोटियाकिसना, तहसील बडोद, जिला आगर म.प्र.————————प्रतिप्रार्थीगण

26.12.14

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से यह राजस्व निगरानी माननीय न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय के प्रकरण क्रमॉक–412/2010–11 द्वितीय अपील जो कि धारा 44 (2) म.प्र.भू–राजस्व संहिता मे पारित आदेश दिनॉक 20/10/2014 से असंतुष्ट होकर निम्न कारणो पर समयावधि मे प्रस्तुत है–